(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 10 / 2025
पंजीकरण सं. :– 2025 / 85

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)
(प्रार्थी)

बनाम

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता पुत्र श्री फूलचंद महाजन निवासी बाबजी नगर, मैन रोड लक्ष्मीकांत निवास जिला बारॉ (राज.) (विक्रेता) मैसर्स फूलचंद लक्ष्मीकांत झालावाड़ रोड, तेलफैक्ट्री, बारां जिला बारां (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1–अनुपस्थित खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2–श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 20.02.2026

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री मौजीलाल कुम्भकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक दिनांक 29.07.2025 को मैसर्स फूलचंद लक्ष्मीकांत झालावाड़ रोड, तेलफैक्ट्री, बारां जिला बारां(राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता पुत्र श्री फूलचंद महाजन (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.07.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या प.5(01)चिस्वा / ग्रुप–3 / ई. 5095 / 2024 दिनांक 05.07.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसमें क्रम संख्या 9 पर मेरा नाम अंकित है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ / खासुऔनि / संस्था / 2025 / 101 दिनांक 15.01.2025 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा आवंटित किया गया है जिसमें क्रम संख्या 10 पर मेरा नाम अंकित है। साथ हीं आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वारा प्राप्त आदेश क्रमांक खासुऔनि / आयुक्त / ESTB/2025 / 670 दिनांक 12.03.2025 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारीश्री मौजीलाल कुंभकार को जिला बारां का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **यूज्ड रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (अंडर फ्राईंग)** आम जनता को पुड़ी बनाने में काम लिया जा रहा है। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **यूज्ड रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (अंडर फ्राईंग)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **यूज्ड रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (अंडर फ्राईंग)** 1600 ग्राम एक साफ–सूखे व स्टील के बर्तन में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता पुत्र श्री फूलचंद महाजन (विक्रेता) को 100 / – रूपये (अक्षरे सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **यूज्ड रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (अंडर फ्राईंग)** को स्टील के बर्तन में लेकर चार साफ–सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में 400 ग्राम लेकर ढक्कन एयरटाईट बंद किया तथा प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–2195 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–2195 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता पुत्र श्री फूलचंद महाजन (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/2025/107 दिनांक 13.08.2025 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/706/PHLK/Act/2025/706 दिनांक 05.08.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **यूज्ड रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (अंडर फ्राईंग)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 24.09.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **यूज्ड रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (अंडर फ्राईंग)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/706/PHLK/Act/2025/706 दिनांक 05.08.2025 के अनुसार,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.07.2025 को चालान नं. 1383 से 25 पीपे सदाबहार सोयाबीन तेल व बिल नं. 1419 दिनांक 12.07.2025 से 75 पीपे सोयाबीन रिफाइंड सदाबहार तेल जय एजेन्सी दीनदयाल पार्क, बारां से खरीदे थे। उक्त फर्म को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर दोनों बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुपुर्द कर दिये गये थे लेकिन उन्होंने उसकी अनदेखी कर परिवाद में हवाला नहीं दिया न ही जये एजेन्सी व सदाबहार सोयाबीन रिफाइनरी को पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी द्वारा यूज्ड किया हुआ तेल जो खराब हो गया था, उसे सेम्पल के रूप में भरा गया है जबकि उनको ज्ञात था कि जो तेल वो भर रहे है, वह यूज्ड है और खराब हो चुका है। अगर अप्रार्थी रीचेकिंग के लिए आवेदन करता तो उसमें 03 माह का समय लग जाता और सेम्पल की एक्सपायरी तिथि निकल जाती। अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है। अतः निवेदन है कि न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित करने की कृपा करें।

प्रकरण में अप्रार्थी की एकपक्षीय अंतिमबहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **यूज्ड रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (अंडर फ्राईंग)** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/706/PHLK/Act/2025/706 दिनांक 05.08.2025 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 15,000/— रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)